Form no 111

फर्द अहकाम

(नियम 133)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ

राजसिह आदि बनाम गुरदेव सिह आदि

अन्तर्गत धारा :–धारा 188,88 आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्या :– 476 /2023

राजस्व विविध संख्या :– 279 /2023

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
27.10.2023 यह वाद पत्र वादी की ओर से **श्री नवीन गोयल अधिवक्ता** द्वारा अन्तर्गत धारा 188,88 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया गया है। वाद–पत्र के साथ धारा 212 आर.टी.एक्ट. शीर्षक **राजसिह आदि बनाम गुरदवे सिह आदि** प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण सम्मन द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 02.12.2023 को पेश हो। Divya	
4/12/23 [illegible] है। पत्रावली दिनांक 5/3/24 को पेश हो। 2	
5/3/24 प्रति सं. 1 की तरफ से अधि. मनोज शर्मा ने वका० व जवाब दावा पेश किया जो था. पत्रावली किया गया। प्रार्थी मूर्ति देवी की ओर से अधि. रमेश दानि ने प्रा. पत्र 01 R10 CPC पेश किया जिसकी प्रति वकील वादी को दिलवाई गई। पत्रा. वास्ते जवाब ~~सवा~~ प्रति प्रा. पत्र के दिनांक 8/5/24 को पेश हो। Divya	
[illegible]024:–पत्रावली पेशी मे आई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि [illegible] रिश्तेदारो ने महज लोक अदालत कि भावना से प्रेरित [illegible] करवा दिया हैं। इसलिए वादीगण अब इस दावा को नही चलाना चाहते। वादपत्र को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता निवेदन पर उकत प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादीगण के फर्द अहकाम पर अगुठा/हस्ताक्षर करवाये गयें। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा कि गई। पक्षकारान का राजीनामा हो जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादीगण का वादपत्र मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो। Divya सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी	प्रकरण में आगे नहीं चलाना चाहते अमरजीत राजो [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya

Date: 2024.03.30 20:15:07 IST

Reason: SelfAttested